भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 333
मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025/11 अग्रहायण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों को जीएसटी से छूट

+333. डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य एवं सहकारिता समितियाँ, सहकारिता समितियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को जीएसटी से छूट एवं अन्य रियायतें प्रदान करने की मांग कर रही हैं ताकि उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता में सुधार हो सके;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और
(ग) सहकारिता संस्थाओं की सफलता में सहायता हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री आमित शाह)

(क) से (ख): सहकारी समितियों के उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी छूट का अनुरोध प्राप्त हुआ है । जीएसटी से संबंधित प्रस्तावों की जांच जीएसटी परिषद (एक सांविधिक निकाय) द्वारा की जाती है । सरकार ने अब तक सहकारी समितियों को कर संबंधी निम्नलिखित लाभ प्रदान किए हैं:

i. **एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है**: इससे सहकारी समितियों पर आयकर का भार कम होगा और उनके पास अपने सदस्यों के हित के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगी ।

ii. **सहकारी समितियों के न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया:** इस उपबंध से अब सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच इस संबंध में समरूपता हो गई है ।

iii. **आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत नकद लेनदेन में राहत:** आयकरअधिनियम की धारा 269ST के अधीन सहकारी समतियों द्वारा नकद लेनदेन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि किसी सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ किसी एक दिन में किए गए 2 लाख रुपये से कम के नकद लेनदेन को पृथक माना जाएगा और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ।

iv. **नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती:** सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 31.03.2024 तक विनिर्माण कार्य शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों से अधिभार के साथ 30% तक की पूर्व दर की तुलना में 15% का सपाट निम्न कर-दर लगाया जाएगा । इससे विनिर्माण के क्षेत्र में नई सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा ।

v. **प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) की नकद जमा राशि एवं भुगतान की सीमा में वृद्धि:** सरकार ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDB) द्वारा नकद जमा और एवं भुगतान की सीमा को प्रति सदस्य 20,000 रुपये से बढ़ा कर 2,00,000 रुपये कर दिया है । यह उपबंध उनके कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाएगा, उनके व्यवसाय को बढ़ाएगा और इन समितियों के सदस्यों को लाभान्वित करेगा ।

vi. **प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) द्वारा नकद ऋण की सीमा और ऋण चुकौती की सीमा में वृद्धि:** सरकार ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद में दिए जाने वाले ऋण एवं उसकी चुकौती की सीमा को प्रति सदस्य ₹20,000 से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया है । यह प्रावधान उनके कार्यकलापों को सुगम बनाएगा, उनके व्यवसाय को बढ़ाएगा और समितियों के सदस्यों को लाभ पहुंचाएगा।

vii. **नकद निकासी के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा में वृद्धि:** सरकार ने सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) किए बिना नकद निकासी की सीमा को 1 करोड़ रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बढ़ा दिया है । इस प्रावधान से सहकारी समितियों को स्रोत पर कर कटौती (TDS) में बचत होगी जिससे उनकी लिक्विडिटी में बढ़ोतरी होगी ।

viii. **सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत**: वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 36(1)(xvii) को अंतर्विष्ट किया गया था ताकि चीनी बनाने के व्यवसाय में लगी सहकारी समिति, अर्थात् सहकारी चीनी मिलों (CSMs) द्वारा किए गए व्यय की राशि के कारण कटौती का उपबंध किया जा सके । यह उपाय दिनांक 01.04.2016, अर्थात निर्धारण वर्ष 2016-17 से लागू हुआ । तथापि, सहकारी चीनी मिलों द्वारा किसान सदस्यों को गन्ना मूल्य के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान को किसान सदस्यों की आय वितरण मानने और परिणामी कर देनदारियों में अस्पष्टता रहने के मुद्दे पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा परिपत्र सं. 18/2021 दिनांक 25.10.2021 के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया गया । तदनुसार, सहकारी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान पर उनकी परिणामी कर देयताओं को दिनांक 01.04.2016 से घटाया गया है ।

ix. **सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुरानी लंबित समस्याओं का समाधान:** सहकारी चीनी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने का अवसर प्रदान किया गया है । तदनुसार, वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2023 से आई.टी अधिनियम की धारा 155 में भी संशोधन कर एक नई उप-धारा (19) अंतर्विष्ट की गई है । अधिनियम की धारा 155 की उप-धारा (19) के अधीन क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को आवेदन दाखिल करने की रीति को मानकीकृत करने और उक्त धारा के अधीन क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा इसके निपटान के लिए CBDT ने दिनांक 27.07.2023 के परिपत्र सं. 14, 2023 के माध्यम से संबंधित सहकारी चीनी मिलों द्वारा आवेदन करने के लिए मानक प्रचालन

प्रक्रिया जारी की है । इससे दशकों से लंबित इस मामले में आयकर के मुद्दों का समाधान हुआ है । इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है।

x. **शीरा पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% किया गया:** सरकार ने शीरा पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है जिससे सहकारी चीनी मिलें डिस्टिलरियों को उच्चतर दरों पर शीरा की बिक्री करके अपने सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगी।

(ग): सरकार द्वारा सहकारी संस्थानों की सफलता में सहयोग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित पहलें की गई हैं:-

I. **कंप्यूटरीकरण द्वारा पैक्स का सशक्तीकरण:** पैक्स को सशक्त करने के लिए 2925.39 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है । इस परियोजना के अधीन 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल 79,630 पैक्स अनुमोदित किए गए हैं । कुल 60,494 पैक्स को ERP पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है और 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद कर ली गई है । इस परियोजना के अधीन अनुमोदित पैक्स और जारी धनराशि का राज्य-वार ब्योरा **संलग्नक-I** पर प्रस्तुत है ।

II. **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कम्प्यूटरीकरण:** दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने के लिए, 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । नाबार्ड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है । अब तक, 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और स्वीकृत किए गए हैं । इसके अलावा, हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 9.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है । कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कंप्यूटरीकरण परियोजना के अधीन अनुमोदित ARDBs तथा जारी राशि का राज्य-वार ब्योरा **अनुलग्नक-II** में प्रस्तुत है ।

III. **सहकारी चीनी मिलों के सशक्तीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना:** सरकार ने NCDC के माध्यम से एथेनॉल संयंत्र या कोजेनरेशन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए या फिर तीनों प्रयोजनों के लिए एक योजना आरंभ की है । अब तक मंत्रालय ने इस योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2024-25 में NCDC को 1000 करोड़ रुपये का आबंटन किया है । इस योजना के अधीन एनसीडीसी ने 56 सहकारी चीनी मिलों को 10,005 करोड़ रुपये के जारी किए हैं ।

IV. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC),** जो एक सांविधिक निगम है, को सहकारी समितियों के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए संसद के एक अधिनियम (1962 का एनसीडीसी अधिनियम) द्वारा दिनांक 14.03.1963 को सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित किया गया है। एनसीडीसी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने और फसलोपरान्त सुविधाओं की स्थापना के लिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, सुदृढ़ करना और विकसित करना है । एनसीडीसी, राज्य सरकार के माध्यम से या सीधे पात्र सहकारी समितियों को, निर्दिष्ट निबंधन की

शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है । अल्पकालिक और दीघकालिक ऋणों और भारत सरकार की योजनाओं के अधीन उपलब्ध सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

दिनांक 25.11.2025 की स्थित के अनुसार एनसीडीसी ने देश भर में सहकारी संस्थानों के विकास के लिए कुल मिलाकर ₹4,67,455.66 करोड़ का संवितरण किया है । विगत पांच वर्षों के दौरान कार्यक्रम-वार संवितरण का ब्योरा **संलग्नक-III** पर प्रस्तुत है ।

अपनी स्थापना के बाद से ही एनसीडीसी, सहकारिता प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों के केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए अधिसूचित कमोडिटिज़ और सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला को कवर कर रहा है ।

समर्थित कार्यकलापों और कार्यान्वित योजनाओं का ब्योरा **संलग्नक-IV** पर प्रस्तुत है ।

संलग्नक- I

कंप्यूटरीकरण द्वारा पैक्स सशक्तीकरण परियोजना के अधीन अनुमोदित पैक्स और जारी राशि का राज्य-वार ब्योरा -

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**स्वीकृत पैक्स**	**कुल जारी धनराशि (करोड़ रुपये)**
1.	महाराष्ट्र	12,178	130.73
2.	राजस्थान	8,525	84.83
3.	गुजरात	6,216	93.97
4.	उत्तर प्रदेश	6,257	67.10
5.	कर्नाटक	5,894	67.83
6.	मध्य प्रदेश	5,455	66.43
7.	तमिलनाडु	4,561	51.73
8.	बिहार	4,495	51.76
9.	पश्चिम बंगाल	4,187	45.79
10.	पंजाब	3,482	32.94
11.	आंध्र प्रदेश	2,037	35.31
12.	छत्तीसगढ़	2,028	28.35
13.	हिमाचल प्रदेश	1,885	26.74
14.	झारखंड	2,797	34.30
15.	हरियाणा	710	8.79
16.	उत्तराखंड	1,216	3.69
17.	असम	850	17.02
18.	जम्मू और कश्मीर	708	10.37
19.	त्रिपुरा	475	7.11
20.	मणिपुर	308	3.14
21.	नागालैंड	231	4.43
22.	मेघालय	330	2.34
23.	सिक्किम	131	3.28
24.	गोवा	86	1.19
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46	0.69
26.	पुड्डुचेरी	45	0.67
27.	मिजोरम	99	1.27
28.	अरुणाचल प्रदेश	139	0.36
29.	लद्दाख	10	0.12
30.	ओडिशा	4,240	18.07
31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	9	0.12
	कुल	**79,630**	**900.49**

<u>अनुलग्नक- II</u>

कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कंप्यूटरीकरण परियोजना के अधीन अनुमोदित ARDBs और जारी धनराशि का राज्य-वार ब्योरा-

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**अनुमोदित ARDBs**	**कुल जारी धनराशि (करोड़ रुपये)**
1.	पुड्डुचेरी	2	0.11
2.	पंजाब	113	0.94
3.	त्रिपुरा	6	0.04
4.	उत्तर प्रदेश	342	1.75
5.	कर्नाटक	207	1.28
6.	तमिलनाडु	216	1.96
7.	हरियाणा	90	0.76
8.	हिमाचल प्रदेश	88	1.04
9.	गुजरात	195	0.82
10.	राजस्थान	163	1.14
	कुल	**1,422**	**9.84**

नोट: जम्मू और कश्मीर इस परियोजना से हट गया है ।

अनुलग्नक- III

विगत 5 वर्ष में NCDC द्वारा कार्यकलाप-वार सहायता

करोड़ रुपये

क्रम सं.	कार्यकलाप	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (25.11.2025 के अनुसार)
1	विपणन और निविष्टियां	19605.79	26779.65	28031.70	52919.63	77,945.72	52,503.93
2	प्रसंस्करण	1643.91	1343.84	800.03	2223.71	8,101.01	290.08
3	भंडारण और शीत श्रृंखला	7.29	7.72	4.84	19.14	59.73	4.41
4	दुर्बल वर्ग कार्यक्रम	288.58	870.38	600.96	345.14	75.17	21.80
5	सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण	30.87	25.06	45.02	0.42	4.58	0.23
6	उपभोक्ता सहकारी समिति	0.89	2.69	1.40	4.13	-	
7	ICDP	152.61	283.06	177.87	23.26	1.62	
8	C,IC&SC	2996.23	4894.2	11322.3	5000.77	8,874.83	6,121.30
9	युवा सहकार	0.27		0.10	0.84	0.13	0.10
10	P&D	4.48	6.44	6.15	6.75	-	
11	FPO	2.32	8.04	38.25	48.33	71.97	61.37
12	FFPO			2.78	26.35	48.12	21.45
13	कृषि निर्यात और निर्यात संवर्धन						50.00
	कुल योग	**24,733.24**	**34,221.08**	**41,031.40**	**60,618.47**	**95,182.88**	**59,074.67**

अनुलग्नक IV

भाग क: एनसीडीसी प्रायोजित योजना

सहायता प्रदत्त कार्यकलाप:

एनसीडीसी, सहकारी समितियों को उनके विकास के लिए ऋण (सावधि ऋण और निवेश ऋण दोनों) और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है । ऋण घटक एनसीडीसी की अपनी निधि में प्रदान किया जाता है जबकि अन्य केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं को डवटेल करने उपरांत सब्सिडी प्रदान की जाती है । एनसीडीसी द्वारा सहायता प्रदान किए जाने वाले कार्यकलापों की सूची निम्नानुसार है:-

क) विपणन;

ख) प्रसंस्करण;

ग) भंडारण;

घ) शीत श्रृंखला;

ङ) औद्योगिक;

च) सहकारी समितियों के माध्यम से अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण;

छ) क्रेडिट और सेवा सहकारी समितियां/अधिसूचित सेवाएं;

ज) सहकारी बैंकिंग इकाई;

झ) कृषि सेवाएं;

ञ) जिला प्लान की योजनाएं;

ट) दुर्बल वर्ग की सहकारी समितियां;

ठ) सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए सहायता;

ड) संवर्धनात्मक और विकासात्मक कार्यक्रम ।

एनसीडीसी के केंद्रित उत्पाद

क) युवा सहकार – सहकारी उद्यम सहयोग और नवाचार योजना: इस योजना का लक्ष्य नए और/या नवोन्मेषी विचारों वाली नव-स्थापित सहकारी समितियों का प्रोत्साहन है ।

ख) आयुष्मान सहकार: इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को कवर करने का व्यापक दृष्टिकोण है ।

ग) नंदिनी सहकार: इस योजना का लक्ष्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता को बढ़ावा देना

है । यह महिलाओं के उद्यम के महत्वपूर्ण इनपुट्स, व्यवसाय योजना तैयार करना, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी, और/या अन्य योजनाओं के ब्याज अनुदान का अभिसरण करेगा ।

घ) **डेयरी सहकार:** यह योजना सहकारी डेयरी व्यवसाय पर केंद्रित एक वित्तीय सहायता संरचना है जिसका लक्ष्य सहकारी समितियों को ESG (पर्यावरणीय, सामाजिक, शासन) से जुड़े कार्यकलापों में उच्चतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें सहकारी समितियों द्वारा नए परियोजनाओं तथा मौजूदा परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और/या विस्तारण के लिए अवसंरचना का निर्माण करना शामिल है ।

ङ) **डिजिटल सहकार:** यह योजना डिजिटल इंडिया के साथ संरेखित है जिसमें एनसीडीसी ने डिजिटली सशक्त सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी द्वारा हैंडहोल्डिंग और क्रेडिट लिंकेज हेतु केंद्रित वित्तीय सहायता की परिकल्पना की है जिसमें सहकारी समितियों की डिजिटल इंडिया में सक्रिय प्रतिभागिता के उद्देश्य से भारत सरकार/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/एजेंसियों के अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन, इत्यादि के साथ डवटेल किया जाता है ।

च) **स्वयं शक्ति सहकार योजना:** यह महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने हेतु कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है ।

छ) **दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना**: यह एनसीडीसी के क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्यकलापों/ वस्तुओं/सेवाओं के लिए कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को आगे ऋण देने हेतु दीर्घावधि ऋण/अग्रिम प्रदान करने की एनसीडीसी की दीर्घावधि वित्तीय सहायता की योजना है ।

भाग ख: एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही सहकारिता मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाएं

क) **सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए एनसीडीसी को सहायता अनुदान** – सहकारिता मंत्रालय ।

ख) भंडारण अवसंरचना और भंडारण से अन्यत्र अवसंरचना के लिए केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि विपणन (CSISAM) की **कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) उप-योजना** - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

ग) **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) – फसलोत्तर एकीकृत प्रबंधन** – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

घ) **कृषि अवसंरचना निधि के अधीन वित्तीय सुविधा के माध्यम से ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी** योजना - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

ङ) **राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)** के बीज और रोपण सामग्री उपमिशन (SMSP) के अधीन बीज उत्पादन घटक को बढ़ाने के लिए सहायता ।

च) **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)** – मत्स्यपालन विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।

छ) **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME)** – खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय।

ज) **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन की योजना**– कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

झ) **(i) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)** – खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन योजना- खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ।

(ii) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)– एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना - खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ।

ञ) **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC)** – जनजातीय कार्य मंत्रालय ।

ट) **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)** - मत्स्यपालन और डेयरी विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।

ठ) **पुन:संरेखित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)** - मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।

****